भारत सरकार

खान मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2914

दिनांक 20.12.2023 को उत्तर देने के लिए

राष्ट्रीय खनिज नीति (एनएमपी)

2914. डॉ. ढालसिंह बिसेन:

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय खनिज नीति (एनएमपी) का ब्यौरा और मुख्य उद्देश्य क्या हैं;

(ख) राष्ट्रीय खनिज नीति (एनएमपी) से खनन क्षेत्रों में सतत विकास सुनिश्चित होने की क्या संभावना है; और

(ग) एक्सट्रेक्टिव इंडस्ट्रीज ट्रांसपेरेंसी इनिशिएटिव (ईआईटीआई) में भारत की भागीदारी के क्या लाभ हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खान, कोयला एवं संसदीय कार्य मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क): राष्ट्रीय खनिज नीति, 2019 [एनएमपी 2019] में उल्लेख किया गया है कि खनिज मूल्यवान प्राकृतिक संसाधन हैं जो अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्रों के लिए आवश्यक कच्चा माल हैं। खनिजों का गवेषण, निष्कर्षण और प्रबंधन राष्ट्रीय लक्ष्यों और दृष्टिकोणों द्वारा निर्देशित होते हैं जो देश के आर्थिक विकास की समग्र कार्यनीति में एकीकृत होते हैं। एनएमपी 2019 घरेलू उद्योग को बढ़ावा देने, आयात निर्भरता को कम करने और मेक इन इंडिया पहल में योगदान देने पर भी केंद्रित है। एनएमपी 2019 सार्वजनिक कल्याण करने हेतु खनिज संपदा का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए खनिज संसाधनों के उचित और पारदर्शी आवंटन पर जोर देती है। एनएमपी 2019 का लक्ष्य हितधारकों की भागीदारी के साथ पर्यावरणीय रूप से सतत खनन; खनन प्रभावित व्यक्तियों और क्षेत्रों को खनन के लाभों का अंतरण; सभी हितधारकों के बीच उच्च स्तर का विश्वास बनाए रखना; क्षेत्र में ईज़ ऑफ़ डूइंग बिजनेस के लिए अनुकूल नियामक वातावरण; खनन के लिए मंजूरी प्राप्त करने हेतु सरल, पारदर्शी और समयबद्ध प्रक्रियाएं सुनिश्चित करना है।

(ख) खनिज संरक्षण और विकास नियम (एमसीडीआर), 2017 को एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 18 के तहत खनिज संरक्षण, खनिजों के व्यवस्थित विकास और पूर्वेक्षण या खनन कार्यों

से होने वाले किसी भी प्रदूषण को रोक कर या नियंत्रित करके पर्यावरण की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। एमसीडीआर (संशोधन) 2017 के नियम 12(1) के अनुसार, पूर्वेक्षण और खनन कार्य इस तरह से किए जाएंगे जिससे कि खनिज निक्षेपों का व्यवस्थित विकास, खनिजों का संरक्षण और पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। एमसीडीआर, 2017 के अध्याय V के तहत नियम 35 से 44 में सतत खनन का प्रावधान है। एनएमपी 2019 में खनन क्षेत्रों में सतत विकास पर पर्याप्त जोर दिया गया है। इसके अलावा, सतत विकास ढांचा (एसडीएफ) लागू करने के लिए मंत्रालय ने खानों की स्टार रेटिंग की प्रणाली विकसित की है।

(ग) भारत एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज ट्रांसपैरेंसी इनिशिएटिव (ईआईटीआई) का सदस्य नहीं है। तथापि, भारत ने खनिज संसाधनों, गवेषण की स्थिति और निष्कर्षण की व्यवहार्यता के बारे में सूचित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ढांचा वर्गीकरण (यूएनएफसी) को अपनाया है। इसके अलावा, एमएमडीआर अधिनियम, 1957 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, प्रत्येक पट्टा धारक को राज्य और केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा जारी विभिन्न मंजूरियों के तहत निर्धारित शर्तों का पालन करना है। पट्टा धारकों के लिए मासिक/वार्षिक विवरणी, गवेषण के परिणाम, प्रगामी खान बंदी कार्यकलापों पर वार्षिक रिपोर्ट, आदि जैसी निर्धारित रिपोर्टों को सांविधिक प्राधिकरणों को प्रस्तुत करना भी अनिवार्य है।

*****